अध्याय ।

सीमा शुल्क राजस्व

1.1. सीमा शुल्क की प्रकृति

1.1.1 भारत में माल के आयात किये जाने और भारत से बाहर कतिपय माल के निर्यात किये जाने पर (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की एंट्री 83) सीमा शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है। सीमा शुल्क प्राप्तियां सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व का भाग होती हैं।

1.1.2 सीमा शुल्क की ड्यूटी सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत उद्ग्रहित की जाती हैं और ड्यूटी की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं।

1.2. सीमा शुल्क राजस्व आधार

1.2.1 डीजीएफटी द्वारा आईईसी के साथ जारी किये गये आयातक और निर्यातक सीमा शुल्क राजस्व आधार में शामिल होते हैं। मार्च 2017 तक 2,65,285 सक्रिय आईईसी[3] थे। 2017-18 के दौरान ₹ 19.57 लाख करोड़ मूल्य के निर्यात (74,67,821 लेन-देन) और ₹ 30.01 लाख करोड़ मूल्य के आयात (46,04,315 लेन-देन) किये गये।

1.3. प्रशासनिक विभागों का गठन और कार्य

1.3.1 वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग (डीओआर), केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों के प्रशासन केलिए उत्तरदायी भारत सरकार का सर्वोच्च विभाग है।

1.3.2 पूरे देश में प्रधान कमिश्नर/कमिश्नर की अध्यक्षता वाली 23 जोनों द्वारा सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा सीमा-पार निवारक कार्य किये जाते हैं।

[3]प्रत्येक आयातक/निर्यातक को आईईसी, डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा जारी किया जाताहै।

1.3.3 विदेश व्यापार के महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओआईसी) के अधीन वाणिज्य विभाग (डीओसी) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) जो निर्यात और व्यापार बढ़ाने के लिए अनुपालन की जाने वाली नीति और कार्यनीति को आधारभूत प्रारूप प्रदान करती है, उन्हें प्रतिपादित, कार्यान्वित और मॉनीटर करता है। इसके अतिरिक्त, विभाग को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंध, विशिष्ट आर्थिक जोन (सेज़), राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार सरलीकरण और विकास और कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योग और सामग्री के विकास औरविनियमन के संबंध में उत्तरदायित्व भी सौंपे गये है।

1.3.4 एफटीपी को निर्यात प्रोत्साहन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आईईसी प्रदान करने और लाइसेंस देने के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (आरएलए) द्वारा लागू किया जाता है। 2017-18 के दौरान पूरे भारत में 38 आरएलए थे।

1.4. सीमा शुल्क प्राप्तियां

1.4.1 माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू किये जाने से पहले सीमा शुल्क प्राप्तियों में मूलभूत सीमा शुल्क ड्यूटी (बीसीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क ड्यूटी (एसएडी) शामिल होते थे। शिक्षा उप कर और एंटी-डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी, जहां पर पिछले दोनों लागू थे, सहित आयात पर अन्य उद्ग्रहण शामिल थे।

1.4.2 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी के उपरांत, पैट्रोलियम उत्पादों और एल्कोहल को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात पर सीवीडी और एसएडी को सम्मिलित कर दिया गया है और इसके स्थान पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कर लागू कर दिया गया है। एकीकृत कर लागू बीसीडी के अतिरिक्त है जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार उद्ग्रहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) उपकर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कतिपय ऐश्वर्यपूर्ण तथा निषेध माल पर भी उद्ग्राह्य होता है। शिक्षा उपकर सहित एंटी-डंपिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड ड्यूटी का उद्ग्रहण भी अपरिवर्तित रहा।

1.5. बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां

1.5.1 संघ सरकार का राजस्व बजट सरकार के कर और गैर कर राजस्व का बजट अनुमान प्रदान करता है। बजट अनुमान के साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक प्राप्तियां या तो अप्रत्याशित घटनाओं या अवास्तविक अनुमानों के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं।

1.5.2 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां नीचे तालिका 1.1 में दी गई हैं:

तालिका 1.1: बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां **₹ करोड़**

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक और बीई में अंतर	वास्तविक और बीई के बीच *प्रतिशत* भिन्नता	वास्तविक और आरई के बीच *प्रतिशत* भिन्नता
वि.व.14	1,87,308	1,75,056	1,72,085	(-)15,223	(-)8.13	(-)1.73
वि.व.15	2,01,819	1,88,713	1,88,016	(-)13,803	(-)6.84	(-)0.37
वि.व.16	2,08,336	2,09,500	2,10,338	(+)2,002	(+)0.96	(+)0.40
वि.व.17	2,30,000	2,17,000	2,25,370	(-)4,630	(-)2.01	(+)3.85
वि.व.18	2,45,000	1,35,242	1,29,030	(-) 1,15,970	(-)47.33	(-) 4.59

स्रोत: संबंधित वर्ष हेतु संघीय बजट और वित्त लेखे

1.5.3 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17 के दौरान आरई और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता (-) 1.73 *प्रतिशत* से 3.85 *प्रतिशत* के बीच थी। उक्त अवधि के दौरान ही बीई और वास्तविक के बीच भिन्नता काफी अधिक थी।

1.5.4 वि.व. 2017-18 के दौरान बीई ₹ 2,45,000 करोड़ तक नियंत्रित था। जीएसटी के लागू करने के बाद, 2017-18 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमान ₹ 1,35,242 करोड़ पर निर्धारित किये गये थे। वसूल किया गया राजस्व ₹ 1,29,030 करोड़ था। वि.व. 2017-18 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों में कमी के कारणों में से एक कारण यह माना जा सकता है कि

जीएसटी व्यवस्था में सीवीडी और एसएडी को आईजीएसटी में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार, सीमा शुल्क प्राप्तियां मुख्यत: बीसीडी का भाग हैं।

1.6 सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

1.6.1 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल कर राजस्व प्राप्तियां (जीटीआर) और सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के संदर्भ में सीमा शुल्क प्राप्तियों की परस्पर वृद्धि को तालिका 1.2 में नीचे दर्शाया गया है

तालिका 1.2: सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि **₹ करोड़**

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां	वृद्धि *प्रतिशत* वर्ष दर वर्ष	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्ति	सकल कर राजस्व	सकल कर के%के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां	सकल अप्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां
वि.व.14	1,72,085	4	1,13,45,056	1.52	11,38,996	15.10	4,97,349	34.60
वि.व.15	1,88,016	9	1,25,41,208	1.50	12,45,135	15.10	5,46,214	34.42
वि.व.16	2,10,338	12	1,35,76,086	1.55	14,55,891	14.45	7,10,101	29.62
वि.व.17	2,25,370	7	1,51,83,709	1.48	17,15,968	13.13	8,62,151	26.14
वि.व.18	1,29,030	(-)43	1,67,73,145	0.76	19,19,183	6.72	9,16,445	14.07

1.6.2 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2015-16 तक पहले तीन वर्षों में वर्ष दर वर्ष आधार पर सीमा शुल्क प्राप्ति वृद्धि दर बढ़ी परंतु विगत वर्ष में 12 *प्रतिशत* की तुलना में 2017-18 में 7 *प्रतिशत* तक घट गई। **वि.व. 2017-18 में सीमा शुल्क प्राप्तियां पूर्ववर्ती वर्षों के साथ तुलना योग्य नहीं है क्योंकि इसमें पूर्व वर्षों की तुलना में, जब सीवीडी और एसएडी सीमा शुल्क प्राप्तियों का भाग थी; 1 जुलाई 2017 से केवल मूल सीमा शुल्क शामिल होता है।**

1.6.3 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2016-17 के दौरान, जीडीपी की सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता 1.52 से 1.48 *प्रतिशत* के बीच स्थिर रही। जीटीआर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 2013-14 में 15 *प्रतिशत* की तुलना में वि.व. 2016-17 में 13 *प्रतिशत* थी। कुल अप्रत्यक्ष करों की

प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व 2013-14 में 35 *प्रतिशत* से वि.व. 2017-18 में 26 *प्रतिशत* तक स्थाई रूप से घट गई है।

1.6.4 वि.व. 2017-18 के दौरान, जीडीपी प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियों का अनुपात एक *प्रतिशत* (0.76 *प्रतिशत*) से कम थी जबकि सकल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 6.7 *प्रतिशत* थी। अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क प्राप्तियां 14 *प्रतिशत* थी।

1.7 भारत के आयात और निर्यात

1.7.1 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान भारत के आयात और निर्यात की वृद्धि की प्रवृति को तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत के आयात और निर्यात

वर्ष	आयात	विगत वर्ष में वृद्धि % में	निर्यात	विगत वर्ष में वृद्धि % में	व्यापार असंतुलन ₹ करोड़
वि.व.14	27,15,434	-	19,05,011	-	-8,10,423
वि.व.15	27,37,087	0.79	18,96,348	(-) 0.45	-8,40,739
वि.व.16	24,90,298	(-) 9.00	17,16,378	(-) 9.49	-7,73,920
वि.व.17	25,77,422	3.49	18,52,340	7.92	-7,25,082
वि.व.18	30,01,033	16.44	19,56,515	5.62	-10,44,518

स्रोत: एक्सिम डाटा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

1.7.2 वि.व. 2015-16 के दौरान (-) 9 *प्रतिशत* की नकारात्मक वृद्धि वहन करने के बाद वि.व. 2016-17 और वि.व. 2017-18 के दौरान वर्ष दर वर्ष आयातों की वृद्धि दर बढ़ी। आयात में भी वि.व. 2015-16 में (-) 9.5 *प्रतिशत* से वि.व. 2016-17 में 8 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। 2016-17 की अपेक्षा 2017-18 में आयात में 16.44 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जबकि उसी समयावधि के दौरान निर्यात में 5.62 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.7.3 भारत के आयात का मूल्य वि.व. 2016-17 में ₹ 25.77 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2017-18 के दौरान ₹ 30.01 लाख करोड़ तक हो गया, जबकि निर्यात वि.व. 2016-17 में ₹ 18.52 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2017-18 में ₹ 19.56 लाख करोड़ तक हो गया था।

1.8 वि.व. 2017-18 के दौरान मुख्य आयात और निर्यात

1.8.1 वि.व. 2017-18 में आयात की वृद्धि मुख्य पांच सामग्री समूह नामत: (i) खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पादों (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27) (ii) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, महंगे या कम महंगे स्टोन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71) (iii) इलैक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण तथा उनके भाग, साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज और साऊंड रिकॉर्डर और भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 85) (iv) न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिकी उपकरण, उनके भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) और (v) जैविक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29) के कारण थी। ये सामग्रियां वि.व. 18 के दौरान किये गये कुल आयातों का 67 *प्रतिशत* भाग थी।

1.8.2 वि.व. 18 के दौरान मुख्य पांच निर्यात सामग्रियां (i) प्राकृतिक या कृत्रिम मोती और महंगे स्टोन, महंगी धातु और इनके सामान (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 71) (ii) खनिज ईंधन और खनिज तेल (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 27) (iii) मशीनरी और यांत्रिकी उपकरण, उनके भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 84) (iv) रेलवे के अतिरिक्त वाहन और इनके भाग और सहायक भाग (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 87) और (v) जैविक रसायन (सीमा शुल्क टैरिफ का अध्याय 29); इनके संबंधित क्रम में निर्यात किये गये।

वि.व. 18 के दौरान आयातित पांच मुख्य सामग्रियों का भाग किये गये कुल निर्यात का 43 *प्रतिशत* था।

1.9 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

1.9.1 संग्रहण की लागत सीमा शुल्क के संग्रहण पर की गई लागत है और इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/जमा लेखे के हस्तांतरण और अन्य व्यय शामिल होते हैं।

1.9.2 सीबीआईसी ने सूचित किया कि 2017-18 के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 3.05 *प्रतिशत* था।

2014-15 से 2017-18 की अवधि हेतु सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत नीचे (तालिका 1.4) में दर्शाया गयी है।

तालिका 1.4: वि.व. 14 से वि.व.18 के दौरान संग्रहण की लागत₹करोड़

वर्ष	राजस्व एवं आयात/निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्य पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	रिज़र्व फंड, जमा लेखे और अन्य व्यय का हस्तांतरण	कुल	सीमा शुल्क प्राप्तियां	सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.14	333	1,804	5	2,142	1,72,085	1.25
वि.व.15	382	2,094	20	2,496	1,88,016	1.33
वि.व.16	412	2,351	36	2,799	2,10,338	1.33
वि.व.17	544	2,771	7	3,322	2,25,370	1.47
वि.व.18	640	3262	39	3,941	1,29,030	3.05

स्रोत: संबंधित वर्षों हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे

1.9.3 सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त, संग्रहण की लागत 1.25 *प्रतिशत* (वि.व.14) से 3.05 *प्रतिशत* (वि.व.18) के बीच थी।

1.10 सीमा शुल्क का बकाया

1.10.1 बकाया की वसूली का एकमात्र उत्तरदायित्व क्षेत्राधिकारिक कमिश्नर का होता है। उनके द्वारा कमिश्नरियों में कार्य कर रही वसूली कक्ष के कार्यों की समीक्षा और निगरानी किया जाना अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 15.12.1997 के अनुसार, एक "वसूली कक्ष (आरसी)" सरकारी बकाया की वसूली करने के उद्देश्य हेतु प्रत्येक सीमा शुल्क कमिश्नरी में गठित किया जाना चाहिए। मुख्य कमिश्नर {सीसी (टीएआर)} द्वारा प्रत्येक कमिश्नरी के लिए प्रत्येक वर्ष वसूली लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। अगस्त 2015 से सीसी (टीएआर) के कार्य और उत्तरदायित्व, महानिदेशालय, निष्पादन प्रबंधन (डीजीपीएम) को हस्तांतरित कर दिये गये हैं।

1.10.2 सीमा शुल्क के बकाया वे शुल्क हैं जिन्हें विभाग द्वारा प्राप्त किया गया है परन्तु विभिन्न कारणों जैसे अधिनिर्णयन, विवादास्पद दावे, कम उद्ग्रहण, अनन्तिम निर्धारण आदि के कारण 31 मार्च 2018 तक ₹ 24,685 करोड़ की राशि की वसूली नहीं की गई हैं।

1.10.3 2014-15 से 2017-18 के लिए सीमा शुल्क राजस्व बकाया नीचे तालिका 1.5 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.5: सीमा शुल्क के बकाया

वर्ष	विवाद के अधीन सीमा शुल्क के बकाया (₹ करोड़ में)	गैर-विवादित सीमा शुल्क के बकाया (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	कुल बकाया के विवादास्पद बकाया की प्रतिशतता
2014-15	14597	6210	20807	70.15
2015-16	12300	12322	24622	49.95
2016-17	21780	4700	26480	82.25
2017-18	18836	5849	24685	76.31

स्रोत: डीजी निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाएं

1.10.4 वि.व. 2014-15 से वि.व. 2016-17 के दौरान सीमा शुल्क ड्यूटी के बकाया लगातार बढ़ रहे हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बकाया लगभग ₹ 2000 करोड़ तक कम हो गये। वि.व. 2014-15 की तुलना में वि.व. 2017-18 में सीमा शुल्क में समग्र बकाया 18.63 *प्रतिशत* तक बढ़ गये हैं।

1.10.5 कुल बकाया का एक भाग के रूप में विवाद के अधीन बकाया राशि वि.व. 2015-16 में 49.95 *प्रतिशत* से बढ़कर वि.व. 2016-17 में 82.25 *प्रतिशत* तक हो गई और वि.व. 2017-18 में 76 *प्रतिशत* तक कम हो गई और ₹ 1,88,386 करोड़ थी। 2014-15 से 2017-18 में गैर-विवादास्पद श्रेणी के अधीन बकाया 5.81 *प्रतिशत* तक कम हो गया।

1.10.6 कुल 23 जोन {11 सीमा शुल्क कमिश्नरी और 12 संयुक्त कमिश्नरी (सीमा शुल्क और जीएसटी)}में से 10 जोन में वि.व. 2017-18 के दौरान लंबित कुल बकाया 81 *प्रतिशत* (₹ 19,897 करोड़) था जैसाकि नीचे तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: 31 मार्च 2018 तक सीमा शुल्क राजस्व का अवधि-वार और जोन-वार बकाया

₹ करोड़

सीसी जोन	विवाद के अधीन राशि				गैर-विवादास्पद राशि				
	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष परंतु 10 वर्षों से कम	10 वर्षों से अधिक	कुल (कॉलम 2+3+4)	5 वर्ष से कम	पांच वर्ष परंतु 10 वर्षों से कम	10 वर्षों से अधिक	कुल (कॉलम 6+7+8)	कुल योग (कॉलम 5+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अहमदाबाद सी.शु.	2,860	596	214	3,670	278	48	157	483	4,153
चेन्नई सी.शु.	1,793	368	309	2,469	269	181	169	619	3,088
दिल्ली सी.शु	1,271	108	41	1,420	1,283	123	68	1,474	2,895
मुंबई-I सी.शु.	836	151	42	1,028	134	42	35	211	2,133
बैंगलोर सी.शु	1,348	340	91	1,779	54	41	9	104	1,883
मुंबई - II सी.शु	878	101	47	1,026	835	6	0	841	1,868
कोलकाता सी.शु	920	191	26	1,137	379	38	53	469	1,606
मुंबई - III सी.शु	1,808	44	70	1,922	74	103	50	226	1,254
विशाखापट्नम सीई और जीएसटी	758	77	7	842	129	17	29	175	1,017
पुणे सीई और जीएसटी	552	12	2	567	11	0	35	46	613
उपजोड़	13,024	1976	847	15,293	3,435	599	570	4602	19,897
अन्य	2,530	303	158	3,543	496	381	368	1,247	4,788
सकल जोड़	15,554	2279	1005	18,836	3931	980	938	5,849	24,685

स्रोत: महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन (टीएआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाएं

1.10.7 अहमदाबाद जोन के मुख्य कमिश्नर सीमा शुल्क के पास वि.व. 2017-18 में सीमा शुल्क का सबसे अधिक बकाया था, उसके बाद चेन्नई और दिल्ली जोन आते है।

1.10.8 बकाया के समय-वार विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹5,849 करोड़ के निर्विवाद बकाया में से ₹1,918 करोड़ (33%) की पांच वर्ष से अधिक समय से

वसूली नहीं की गई थी। दस वर्षों से अधिक समय से वसूली हेतु लबिंत ₹938 करोड़ की राशि दर्शाती है कि विभाग निर्विवाद बकाया की वसूली हेतु पूरी सक्रियता से कार्य नहीं कर रहा है।

1.11 आंतरिक लेखापरीक्षा

1.11.1 सीबीआईसी और इसके क्षेत्रीय संगठनों की आंतरिक लेखापरीक्षा में महानिदेशक (डीजी), लेखापरीक्षा द्वारा निष्पादित तकनीकी लेखापरीक्षा और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.सीसीए) द्वारा निष्पादित भुगतानों और लेखाओं की लेखापरीक्षा शामिल है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) की अध्यक्षता में महानिदेशक (लेखापरीक्षा) का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है जिसके दायरे में सात जोनल इकाईयां अहमदाबाद, बैंगलोर,चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है, इनमें प्रत्येक की अध्यक्षता अपर महानिदेशक द्वारा की जाती है। डीजीए की प्रत्येक जोनल इकाई का उनके अंतर्गत आने वाले मुख्य कमिश्नर और कमिश्नरियों की जोनल इकाईयों पर क्षेत्रवार आधिकारिक नियंत्रण होता है।

1.11.2 सीबीआईसी ने सूचना दी कि वर्ष 2017-18 के लिए डीजी (आडिट) ने 19,58,900 इकाईयों की लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई थी जिसमें से 5,05,363 (26 प्रतिशत) इकाईयों की ही इस वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी। डीजी (आडिट) ने ₹ 564.75 करोड़ के शुल्क के कम/गैर-उदग्रहण का पता लगाया जिसमें से ₹ 53.61 करोड़ की वसूली कर ली गई थी।

1.11.3 सीबीआईसी द्वारा वि.व 18 के दौरान दी गई सूचना के अनुसार प्रधान महालेखा नियंत्रक द्वारा की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों में स्थापना बिंदुओं के अलावा मुख्यत: निम्नलिखित अनियमितताएं शामिल थी:

क) सरकारी विभाग/राज्य सरकार के निकायों/निजी पार्टियों/स्वायत्त निकायों से देयताओं की वसूली न होना; ₹ 2,163 करोड़;

ख) सरकारी धन का अवरोधन; फलदायी व्यय, अनियमित खरीद/व्यय आदि पर ₹ 3,552 करोड़,

सकल मूल्य ₹ 5,715 करोड़[4] के 244 आंतरिक लेखापरीक्षा पैराग्राफ थे जो अंतिम कार्रवाई हेतु लंबित थे और इसलिए प्रधान महालेखा नियंत्रक द्वारा इनका निपटान नहीं किया गया था।

1.12 कर अपवंचन और जब्ती

1.12.1 राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या में वि.व. 14 में 694 से वि.व. 18 में 940 तक वृद्धि हुई जबकि मूल्य में उसी अवधि के दौरान ₹ 3,113 करोड़ से ₹ 3,065 करोड़ तक कमी आई थी **(अनुलग्नक-1) ।**

1.12.2 अपवंचन मामलों में शामिल प्रमुख वस्तुएं यूरिया, रसायन, लौह अयस्क, कन्फेक्शनरी मदें, मादक पेय, धातू स्क्रैप, स्वर्ण तथा स्वर्ण आभूषण, एलईडी टीवी, रेड सेंडर्स, ऑटो पार्ट, सुपारी, पीवीसी रेजिन, तैयार वस्त्र, 4जी एलटीई एंटिना**,** स्मार्ट कार्ड और ब्रांडेड घडियां थी।

[4] प्र.सीसीए डी.ओ. नं. आईए /एनएजेड/एचक्यू/सीएजी/सूचना/2017-18/194 दिनांक 8 अगस्त2018